



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227205
CG-DL-E-27052021-227205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2021/ज्येष्ठ 6, 1943

No. 205]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2021/JYAISTHA 6, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 1-सीए(7)/198/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् बनाने का प्रस्ताव करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा उस पर विचार किए जाने के लिए उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित करते हुए अग्रेषित कर सकेगा ;

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 28छ के उपविनियम (1) के परंतुक में,—
(i) “उपविनियम (3)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपविनियम (4)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
3. उक्त विनियमों के विनियम 29घ के स्पष्टीकरण में,—
(i) “फाइनल परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र बनने के लिए” शब्दों के स्थान पर, “संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व” शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त विनियमों के विनियम 159 में,—
(i) उक्त उपविनियम (1) में, “150” अंकों के स्थान पर, “200” अंक रखे जाएंगे ;
(ii) उक्त उपविनियम (1क) में, “100” अंकों के स्थान पर, “200” अंक रखे जाएंगे।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./70/2021-22]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित

- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित
- (xxvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 19 अक्तूबर, 2020 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/193/2020 द्वारा प्रकाशित ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2021

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/198/2021.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration on or after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same for consideration by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified above to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said regulations), in proviso to sub-regulation (1) of regulation 28G of the said regulations,-
 - (i) For the words and figures, “sub-regulation (3)”, the words and figures, “sub-regulation (4)” shall be substituted.

3. In the Explanation to regulation on 29D of the said regulations,-
 - (i) for the words “for becoming eligible for admission to Final examination”, the words “before applying for membership of the Institute” shall be substituted.
4. In regulation 159 of the said regulations,-
 - (i) in sub-regulation (1),- for the figure, “150”, the figure “200” shall be substituted.
 - (ii) in sub-regulation (1A),-for the figure, “100”, the figure “200” shall be substituted.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./70/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23rd January, 2015.
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th May, 2017
- (xxvi) Notification No.1-CA(7)/193/2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 19th October, 2020